श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 22 अप्रैल, 1985

सं. ओ. वि./पानीपत/72-84/11677.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड चण्डीगढ़ (2) मुख्य अभियन्ता पानीपत थर्मल प्रोजैक्ट आसन (ओ.एण्ड एम.) पानीपत, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या सर्वश्री नरे सिंह, अजीत सिंह तथा मदन लाल के साथ पदोन्नति के मामले में भेदभाव किया गया है और क्या वे पदोन्नत के पात्र बनते है ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

दिनांक 29 मार्च, 85/1 अप्रैल, 1985

सं. ओ. वि./हिसार/35-79/13345.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि हरियाणा कनकास्ट लि०, हिसार, के श्रमिक श्री बलबीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ.(ई)—श्रम/70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बलबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 17 अप्रैल, 1985

सं० ओ. वि./फरीदाबाद/19-85/16156.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० राज फाऊंडरी मार्फत मक्कड़ कास्टिंग प्लाट नं० 368, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या सभी श्रमिक वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 को 20 प्रतिशत की दर से बोनस पाने के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण में ?

2. क्या सभी श्रमिक मौसम अनुसार दो जोड़े टेरीकाट की वर्दी लेने के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण में?

3. क्या सभी श्रमिक 60 रुपये की दर से वार्षिक तरक्की लेने के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण में?

4. क्या सभी श्रमिक साबुन, गुड़, व दूध अलाऊंस 80 रुपये प्रति माह की दर से लेने के हकदार हैं? यदि हां, तो किस किस विवरण में?

एम० सेठ,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

दिनांक 25 मार्च, 1985

सं. ओ. वि./फरीदाबाद/153-84/12136.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० ओरियन्टल इण्डस्ट्रीज 12/7, मथुरा रोड फरीदाबाद, के श्रमिक श्री आनन्द कुमार शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-88 श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री आनन्द कुमार शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

वी० पी० सहगल,
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

दिनांक 26 मार्च, 1985

सं. ओ. वि./फरीदाबाद/141-84/12143.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० सुरेन्द्रा एण्ड ब्रदर्स 104, डी. एफ. एन., मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मोहन लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम 88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री मोहन लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

एस० के० महेश्वरी,
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।